<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 04 / 2025 (राजसमन्द डिक्री)</u>

विक्रमसिंह पिता भगवतसिंह, जाति राजपूत, निवासी पनोतिया मार्ग जोगरास, जिला भीलवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. प्रवीण कुमार पिता नटवरलाल, जाति कंसारा, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नरेन्द्रसिंह पिता शैलसिंह, जाति राजपूत, निवासी मोयणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भगवतसिंह पिता गरवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी मोयणा, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राधेश्याम पता मोहनलाल, जाति कंसारा, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लादुलाल पिता रामचन्द्र, जाति कलाल, निवासी देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान

काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व

डिक्री उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ दिनांक

08–01–2025 प्रकरण संख्या 122 / 24

–––/–––

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री लक्ष्मीलाल जैन अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री भवानीशंकर पानेरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 16–04–2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 145 रकबा 0.1 ... चारनीया, तहसील देवगढ़ में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से एवं प्रस्तावित नक्शे अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं होने से ऋण लेने आदि में कठिनाई होती है। अतः उक्त भूमि का मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08–01–2025 को वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–01–2025 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी शंकर पानेरी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल जैन उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–12–2024 को प्रकरण दर्ज कर दिनांक 08–01–2025 को वास्ते तामील नियत किया, लेकिन बिना तामील कराये तथा बिना अपीलान्ट को सुने निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26–12–2024 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested

वास्ते तामील दिनांक 08–01–2025 को प्रकरण नियत किया गया, लेकिन दिनांक को दिनांक 08–01–2025 अपीलान्ट की बिना विधिवत तामील हुए उनकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी, जिससे अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 08–01–2025 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी की विधिवत तामील कराकर तथा उन्हें सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16–04–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:09:44 IST
Reason: SelfAttested